महिला एवं बालकल्याण सम्बन्धी कार्यो में आँगनबाड़ी केन्द्रों की भूमिका

डॉ. प्रीति भट्ट
Assistant Professor
आइरिस कॉलेज,जयपुर
(राजस्थान)

सार

भारतीय समाज में महिलाओं के सन्दर्भ मेदो प्रकार के दृष्टिकोण पाए जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में महिला को पुरूषों के समकक्ष सम्मान एवं प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में है तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हें पुरूषों से निम्न दर्जे का मानता है। अतः उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में है। प्रथम दृष्टिकोण वाले महिला को शक्ति, ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक मानते है, उसे दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में पूज्य मानते है। उनके अनुसार स्त्री पुरूष की अर्द्धांगिनी है। वे यह भी मानते है कि-

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' ।

अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते है।[1] यदि वास्तव में समाज में नारी को यही स्थान प्राप्त है तो नारी के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध, अत्याचार एवं हिंसा नहीं हो सकती। नारी के प्रति दूसरा दृष्टिकोण नारी को समाज में पुरूषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी है। इसी कारण से समाज में नारी को उत्पीड़ित किया जाता हैं, उसका शोषण एवं दमन होता है, उसके साथ हिंसा, बलात्कार तथा प्रताड़ना जैसे कृत्य किये जाते है।[2] नारी के प्रति किए जाने वाले इन्हीं अपराधों एवं दुर्व्यवहारों को देखकर ही मैथलीशरण गुप्त ने कहा था :–

''नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखो में पानी'' ।[3]

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध कोई आज के युग की घटना नहीं है वरन् प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते है।

सरकार बच्चों के विकास और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति संवेदनशील है। राज्य में इस उद्देश्य को लेकर वर्ष 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। परन्तु महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से समानता के आधार पर जोड़ने, महिलाओं को आर्थिक

और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने और उनके अधिकारों का संरक्षण करने की दृष्टि से 18 जून 2007 के आदेश से महिला अधिकारिता निदेशालय की स्थापना की गई। इस प्रकार 18 जून, 2007 के आदेश से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत दो अलग–अलग निदेशालय बनाए गए।

1. निदेशालय महिला अधिकारिता
2. निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं।

जहाँ निदेशालय महिला अधिकारिता के अंतर्गत महिला विकास और सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को एकीकृत किया गया है वहीं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत बच्चों के समग्र विकास, बाल अधिकारों के संरक्षण, बच्चों से संबंधित मुद्दों पर सामाजिक चेतना जागृत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।[4]

महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल–विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समेकित बाल–विकास सेवा कार्यक्रम की क्रियान्वित की जाती है और यह परियोजना सम्बन्धी विभिन्न कार्य करता है।

- परियोजना क्षेत्र का चयन
- सेवाओं को पहुंचाना।
- मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन
- नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण
- बजट बनाना
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना ![5]

प्रशासनिक स्वरूप

राज्य स्तर पर– समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एवं परियोजना स्तर पर कार्यरत कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर में स्थापित है।

जिला स्तर पर– जिला स्तर पर कार्यक्रम के समुचित ढंग से संचालन हेतु उप निदेशक महिला एवं बाल विकास के कार्यालय स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान

आईसीडीएस के अंतर्गत 33 जिलों में उप निदेशक के कार्यालय संचालित किये जा रहे है। यह कार्यालय जिला परिषद के अधीन रहते हुए कार्य करता है।

परियोजन स्तर पर – खण्ड–स्तर पर बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने का प्रमुख आधार ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गो की बहुलता तथा क्षेत्रों का सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन है। ग्रामीण जनजाति क्षेत्र की बाल विकास परियोजना का कार्य क्षेत्र ग्रामीण विकास खण्ड तथा शहरी परियोजना का कार्य क्षेत्र नगरपालिका नगर परिषद नगर निगम का सीमा क्षेत्र है। खण्ड–स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय का प्रशासनिक स्वरूप है। बाल विकास परियोजना कार्यालय का नियंत्रण उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ–साथ पंचायत समिति एवं जिला परिषद के पास है।

ग्राम स्तर पर – योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम–स्तर पर आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते है। कम आबादी वाले ग्रामों,ढाणियों तथा मौहल्लों में मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा साथिन का चयन एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन, पोषाहार का भंडारण आदि कार्य ग्राम पंचायत की देखरेख में करवाया जा रहा है।[6]

खण्ड एवं परियोजना स्तर पर संगठनात्मक प्रशासन तंत्र

परियोजना स्तर का मुख्य अधिकारी, बाल–विकास परियोजना अधिकारी होता है। बाल–विकास परियोजना अधिकारी के अधीन कार्य करने वालाव्यक्ति प्रशासनिक सेवा का चयनित अधिकारी होता है। कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. कार्यालय कर्मचारी एवं
2. क्षेत्रीय कर्मचारी

कार्यालय कर्मचारी के अंतर्गत बाल–विकास परियोजना अधिकारी के अधीन एक कार्यालय सहायक, एक कनिष्ठ लिपिक और एक वरिष्ठ लिपिक होता है।

क्षेत्रीय कर्मचारियों में महिला पर्यवेक्षक, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आँगनबाड़ी सहायक, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, सहायक नर्स, दाई आदि सम्मिलित है। इन कर्मचारियों की सख्या अलग–अलग क्षेत्रों पर भिन्न–भिन्न होती है। सामान्य रूप से शहरी क्षेत्र में 20 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है।

आँगनबाड़ी केन्द्र

महिला बाल–कल्याण कार्यक्रमों की क्रियान्विति का मुख्य केन्द्र 'आँगनबाड़ी' होता है। जिसके माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का लाभ बच्चों को मिलता है। राजस्थान में 62000 आँगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। महिला पर्यवेक्षक की सहायता के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, आँगनबाड़ी सहायक महिला स्वास्थ्य निरीक्षक, सहायक नर्स इत्यादि कर्मचारी होते है, जिनके कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है –

1. पर्यवेक्षण कार्य – महिला पर्यवेक्षक आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित करके आँगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करती है। कार्यक्रम की योजना बनाने तथा क्षेत्र में किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्यक्रम में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को आवश्यक सहायता एवं दिशा–निर्देश देने के लिए उत्तरदायी होती है। यह परिवारों की संख्या सूची अपने क्षेत्र की कुल जनसंख्या, लाभान्वितों की संख्या तथा सभी प्रकार के मृत्यु एवं जन्म का हिसाब रखने में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिशा निर्देश एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती है।

साथ ही महिला पर्यवेक्षक अपने नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्यरत सभी आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण एवं निर्देश देती है। कुपोषण एवं बीमार बच्चो ंकी देखभाल, बच्चों का चयन, उचित दवाईयां एवं प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने तथा आँगनबाड़ी स्तर पर बीमार एवं कुपोषित बच्चों के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाऐं एवं पोषण की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व भी महिला पर्यवेक्षक का ही होता है।

2. सम्पर्क एवं सहयोग का कार्य – महिला पर्यवेक्षक पारिवारिक सम्पर्क, पारिवारिक जांच तथा गांव की बैठक आयोजित करने में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की सहायता करती है। वह प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर रिकार्ड, लेखों, समान भण्डार रजिस्टर, वित्त आदि की जांच करती है और उचित एवं सही सुझाव एवं निर्देश देती है, जिससे प्रगति रिपोर्ट सही समय पर तैयार की जा सके। महिला पर्यवेक्षक द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषाहार कार्यक्रम की शिक्षा के लिए काम में आने वाली उपयोगी सामग्री निर्देश संदेश आदि में सहायता दी जाती है।

3. आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता – ग्रामीण–स्तर पर कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता उत्तरदायी होती है।[7] एक आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है –

पोषाहार सेवा सम्बन्धी कार्य

बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं देखभाल करने वाली महिलाओं को अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था – अपने क्षेत्र के 0–6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा देखरेख करने वाली महिलाओं को आँगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था की जाती है। वही अतिरिक्त पोषाहार की आपूर्ति के लिए भण्डार एवं सामग्री प्राप्त करती है तथा विभिन्न महिलाओं एवं बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार को निश्चित सूची तैयार करती है।

स्वास्थ्य सेवाऐं

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य की क्रियान्विति के लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सहायता करती है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, परिवार नियोजन और रेफरल सेवाओं आदि के लिए वह उस क्षेत्र की सहायक नर्स से सम्पर्क बनाये रखती है।

स्वास्थ्य पोषाहार एवं जनसंख्या शिक्षा

आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य, पोषाहार और जनसंख्या की शिक्षा, विशेष रूप से 15–45 वर्ष तक की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं एवं देखभाल करने वाली माताओं को दी जाती है। ताकि वे स्वास्थ्य व पोषाहार के प्रति सचेत हो सके साथ ही कार्यकर्त्ता स्वास्थ्य, पोषाहार एवं जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित संदेशों को जन जन तक पहुंचाती है।

रिकॉर्डस एवं रिपोर्टस तैयार करना

आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता समस्त व्यय, आपूर्त्ति एवं सामानों से सम्बन्धित सभी प्रकार की पत्रावलियां, रजिस्टर्स, रिपोर्ट एवं रिकार्डस की सुरक्षा का दायित्त्व निभाती है। आँगनबाड़ी एवं बाहरी बच्चों के प्राथमिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित रिकार्ड एवं प्रगति चार्ट की देखभाल करना भी कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व है।

आँगनबाड़ी सहायक

आँगनबाड़ी सहायक, गाँव की एक बुजुर्ग महिला होती है जो कि आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न गतिविधियों में सहायता करती है। आँगनबाड़ी केन्द्र में

सफाई–व्यवस्था का उतरदायित्व भी आँगनबाड़ी सहायिका का होता है। वह आँगनबाड़ी केन्द्र की प्रतिदिन की सफाई, बच्चों को साफ–सुथरे कपड़े पहनाना तथा बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने का कार्य करती है। आँगनबाडी कार्यकर्ता के आदेश एवं निर्देश के अनुसार अतिरिक्त पोषाहार की व्यवस्था करना तथा उसका समान वितरण करने का कार्य भी इस सहायिका द्वारा किया जाता है।

महिला स्वास्थ्य निरीक्षक

यह अपने पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सहायक, नर्स, दाई को दिशा निर्देश एवं आदेश देती है। स्वास्थ्य की जाँच करना, समेकित बाल विकास सेवा से सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और बच्चों से मानवीय सम्बन्ध बनाये रखने का कार्य करती है। वह समय समय पर सहायक, नर्स, दाई की स्टाफ मीटिंग आयोजित करती है तथा सहायक, नर्स, दाई द्वारा रखे गये रिकार्ड की सुरक्षा भी वही करती है।

सहायक नर्स दाई

सहायक, नर्स, दाई द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का पंजीकरण किया जाता है। वह माताओं की उम्र एवं बच्चों की संख्या के आधार पर सारणी बनाती है। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा तथा देखभाल करती है। गर्भवती महिला एवं देखरेख करने वाली महिलाओं को पोषाहार से सम्बन्धित सुझाव तथा बच्चों को विटामिन ए तथा गर्भवती महिलाओं को दवाईयों का वितरण करती है। बच्चों मे होने वाली बीमारियों जैसे चेचक, गलघोंटू टिटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, डायरिया आदि की समय–समय पर जांच करना और उनका रिकार्ड रखना चिकित्सक एवं गैर चिकित्सक सभी में समन्वय बनाने रखना आदि कार्य करती है।

आँगनबाड़ी केन्द्र

आईसीडीएस सेवाओं के सम्पूर्ण उपयोग के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र के सही स्थान का चयन बहुत महत्त्वपूर्ण है। आँगनबाड़ी केन्द्र ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके, भीड़–भाड़ और यातायात वाले इलाकों से दूर हो, उसके आस–पास तालाब या नदी अथवा कोई खतरे वाली जगह न हो, और जो समाज के कमजोर वर्गों के इलाके के पास हो।

भवन

स्थानीय समुदाय को आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए बगैर किसी किराये का स्थान उपलब्ध कराना चाहिये। इस प्रकार आईसीडीएस कार्यक्रम मे समुदाय को शामिल किया जा सकता है। प्रायः ग्रामीण और आदिवासी आईसीडीएस परियोजनाओं में गांव के लोग या तो पहले से बने किसी भवन को बगैर कोई किराया लिए आँगनबाड़ी चलाने के लिए दे देते है या आँगनबाड़ी के लिए भवन बनवा देते हैं। यदि स्थानीय समुदाय के लोग बहुत गरीब है और आँगनबाड़ी के लिए जगह का प्रबंध नही कर सकतें, उस स्थिति में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को समुदायिक नेताओं से सम्पर्क करना चाहिए। जिससे समुदाय अधिक से अधिक विभाग द्वारा निर्धारित दर में ही 200 रू. प्रति माह किराए पर स्थान उपलब्ध करा सके। आँगनबाड़ी केन्द्र पक्के या आधे पक्के भवन या झोंपड़ी से चलाया जा सकता है।

भवन अच्छा हवादार कमरा होना चाहिए जिसमें बच्चों के बैठनें और कमरें में की जाने वाली गतिविधियां करने के लिए स्थान होना चाहिए। खेल उपकरण और सामग्री को रखने की जगह होनी चाहिए। खाना पकाने की जगह और रसोई का सामान तथा खाद्य पदार्थो के भंडारण की जगह होनी चाहिए। पीने के साफ पानी की आपूर्त्ति का प्रबंध और शौचालय सुविधा होनी चाहिए। बाहर की गतिविधियों के लिए पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए।

उद्देश्य

उत्तेजनशील, आनन्ददायक और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना। लाभकारी सीखनें के अनुभव और अवसर उपलब्ध कराना, जिससे बच्चा प्रयोग कर खोज व आविष्कार कर सके। विविध प्रकार की वस्तुओं स्थानों, खिलौनें तथा खेल की सुविधाओं से परिचित कराना। व्यस्कों तथा बच्चों के साथ अर्थपूर्ण अन्तः क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराना। उत्तेजित व संवेगात्मक सुरक्षा का तथा सहायक वातावरण उत्पन्न करना।[8]

न्यूनतम आवश्यकतायें

व्यक्तिगत कार्य, विशिष्ट गतिविधियाँ तथा समूह में कार्य करने के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अच्छे प्रकार की टिकाऊ तथा सुलभ खेल सामग्री जो कि बच्चों की पहुंच के अन्तर्गत होनी चाहिए। बाहरी तथा अन्दर कराई जाने वाली दोनों गतिविधियों तथा कार्य करने के लिये लाभप्रद और आरामदायक फर्नीचर और उपकरण होने चाहिए। बाहर कास्थान स्वंतत्र रूप से खेले जाने वाले खेल, निर्देशित खेल, शारीरिक अभ्यास, बहुत सामग्री के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जैसे कि पानी, बालू और चिकनी मिट्टी, पक्षी का घर, जानवर का कोना और शोच इत्यादि के लिये प्रयोग किया जा सकता है। अन्दर का स्थान बच्चों के बैठने व खेलने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। विशिष्ट कार्यो के लिय निम्न स्थान निर्धारित किया जा सकता है :

- **कार्य क्षेत्र** – यह वह स्थान है जहां बच्चे पजल्स और लिखने के कार्य कर सकते है इसमे ब्लेक बोर्ड भी होना चाहिए।
- **पोषाहार का स्थान** – यह स्थान खाना पकाने, पूरक पोषाहार वितरित करने, भण्डारण, बच्चों के लिये पीने के पानी के लिये हो सकता है।
- **सामान का स्थान**– जिसमे ब्लाक, गेंद, खिलौने, सचित्र पुस्तक और शाला पूर्व शिक्षा का किट जो कि बच्चों की पहुंच के अन्तर्गत हो, रखें जा सकते है इसमे शाला पूर्व शिक्षा किट व सामग्री का भण्डारण हेतु अलमारी होनी चाहिए।
- **पेपर का कार्य करने हेतु स्थान** – विभिन्न आकार और रंगो के रंगीन पेपर हेतु स्थान एवं बोर्ड, जिस पर बच्चों द्वारा रचनात्मक कार्य को प्रदर्शित किया जा सकता है।
- **कलात्मक एवं रचनात्मक कार्य करने हेतु स्थान** – स्लेट, चाक, रंग एवं रंगने हेतु ब्रुश सहित।
- **गुड़िया का स्थान** – जिसमें गुड़िया व उसके कपडें, रसोई का सेट, सोफा सेट, कठपुतली इत्यादि हो।
- **विज्ञान का स्थान** – जहाँ बोट, बोतल, चम्मच, नमक, चीनी, इत्यादि हो जिससे सरल विज्ञान के प्रयोग किये जा सकें।
- अन्दर के स्थान पर 'मेरा कार्नर' जगह भी निर्धारित होनी चाहिए जिसमें दीवार पर शीशा, वजन मशीन, ऊंचाई नापने के लिये चार्ट और प्रत्येक बच्चे हेतु थैले में कंघा और तौलिया का सेट व इस पर बच्चें का नाम लिखा होना चाहिए।

संसाधन

सीडीपीओं के कार्यालय में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा हेतु सामग्री व उपकरण उपलब्ध कराये जाते है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बनाई गई कम लागत वाली खेल–सामग्री एवं

समुदाय द्वारा खिलौने दिये जाते है तथा समुदाय, पंचायत, युवा क्लब आदि द्वारा सामग्री व उपकरण प्रदान किये जाते है। तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को दीवार पर निम्नलिखित रूप से चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता हैं -

- केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाऐं।
- हितार्थियों की सूची।
- गर्भवती महिलाओं द्वारा घर पर पूरक पोषाहर खाने व 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को खिलानें के तरीके।
- टीकाकरण की सूचना।
- गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व रखने वाली सावधानियां, स्वास्थ्य व पोषण सम्बन्धी देखभाल व उनके द्वारा करणीय कार्य।
- संकटग्रस्त गर्भवती महिला की पहचान।
- संकटग्रस्त बच्चे की पहचान।
- प्रसव पूर्व की तैयारियां।
- प्रसव के समय रखने वाली सावधानियां।
- गर्भवती महिलाओं की सम्भावित आपात–काल प्रस्थितियाँ।
- प्रसव के दौरान होने वाली सम्भावित प्रस्थितियाँ।
- प्रसव पश्चात के खतरे।
- नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल।

आँगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियां

आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता आँगनबाड़ी की गतिविधियों की योजना और आयोजन इस प्रकार से करे कि आईसीडीएस की सभी सेवाएं गांव के पूरे लाभार्थियों को मिल सकें। आँगनबाड़ी केन्द्र 4 घण्टे खुला रहना चाहिए। आँगनबाड़ी केन्द्र को समय पर खोलना और बंद करना चाहिए। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए रोज समय से पहले आँगनबाड़ी केन्द्र पर पहुंचना चाहिए।

(क) आँगनबाड़ी की सफाई

(ख) पीने की पानी की व्यवस्था

(ग) पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा की गतिविधियों का आयोजन

(घ) पूरक आहार तैयार करना या बांटने एवं खिलाने की व्यवस्था।

आँगनबाड़ी केन्द्र में दैनिक गतिविधियां

- बच्चों का स्वागत।
- बच्चों का परिचय।
- बच्चों की स्वच्छता की जाँच करना।
- बच्चों से प्रार्थना कराना।
- बच्चों की उपस्थिति करना।
- बच्चों में स्फूर्तिदायक क्रियाएँ करना।
- बच्चों को पोषाहार खिलाना।
- बच्चों से वार्तालाप करना।
- बच्चों से सज्ञानात्मक विकास हेतु क्रियाएं कराना।
- बच्चों से सृजनात्मक विकास हेतु क्रियाएं कराना।
- बच्चों को खेल खिलाना।
- बच्चों से भाषायी कौशल कराना।
- बच्चों से कहानी बुलवाना।
- बच्चों से गीत बुलवाना।
- बच्चों को दूसरी बार पोषाहार खिलाना।
- बच्चों को स्वतन्त्र खेल खिलाना।
- बाल्यावस्था की आम बीमारियों और छोटी–मोटी बीमारियों का इलाज।
- जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं
- साप्ताहिक गृहसंपर्क करना।
- आँगनबाड़ी केन्द्र का रिकार्ड संधारित रखना।

निष्कर्ष

अंत में यह कहा जा सकता है कि यह कार्यक्रम महिला एवं बच्चों के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रतीक है। बाल–कल्याण कार्यक्रमों का मुख्य केन्द्र बिन्दु बालकों की शिक्षा तथा बालकों का स्वास्थ्य है तथा अधिकांश कार्यक्रम इन दो विषयों से ही सम्बन्धित है। क्योंकि छोटा बच्चा कुपोषण, रूग्णता आदि से पैदा होने वाली विकलांगता तथा मृत्यु का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। शुरू के साल, जीवन का महत्त्वपूर्ण समय होता है, इसी समय ज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास तथा भाषा के विकास की नींव रखी जाती है।

अतः प्रसव के पूर्व से लेकर प्रसव उपरान्त माँ और बच्चे का विशेष तौर पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक हैं, क्योकि **महिलाये हमारे देश की आधी आबादी है तो बच्चे देश का भविष्य**। एक महिला के लिए मातृत्व बहुत बड़ा सम्मान भी हैं । जहां शहरी महिलाये अपने स्वास्थ के प्रति सचेत हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में स्वयं के स्वास्थ के प्रति जागरूकता सामान्यतया कम ही देखी जाती हैं अतः इस दृष्टि से आंगनबाड़ी केन्द्रो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

संदर्भ सूची

1. मनुस्मृति अध्याय 3, श्लोक 56 ।
2. शर्मा, के. एन. भारतीय समाज और संस्कृति, न्यू देहली, 1980
3. मैथिलीशरण गुप्त, यशोधरा (काव्य) प्रबंध-काव्य प्रकाशन , 1933
4. महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार।
5. राजस्थान सरकार (महिला एवं बाल विकास विभाग) वार्षिक प्रतिवेदन।
6. अनुका, बाल–पोषण कार्यक्रम (आँगनबाड़ी) राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर, 2008
7. www.wcd.rajasthan.gov.in .
8. यूनिसेफ ।